

# छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग



## वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा सम्परीक्षा रिपोर्ट

### वित्तीय वर्ष 2004-2005

---

छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर

दुरभाष : 0771-2446018, फैक्स : 0771-4070131



## छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

### वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा समपरीक्षा रिपोर्ट

**वित्तीय वर्ष 2004–2005**

वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अंतर्गत इस रिपोर्ट का उद्देश्य यह है कि निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए विभिन्न विधायिक विधान सभाओं द्वारा लाइसेंस दिया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट का उद्देश्य यह है कि निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए विभिन्न विधायिक विधान सभाओं द्वारा लाइसेंस दिया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट का उद्देश्य यह है कि निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए विभिन्न विधायिक विधान सभाओं द्वारा लाइसेंस दिया जाना चाहिए।

- टीप :- (1) छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम 2002, (क्रमांक 2 सन् 2002), यथा संशोधित 17 मार्च 2004 की धारा 24 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित आयोग।
- (2) उक्त अधिनियम का निरसन एवं व्यावृत्ति छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005, (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 44 द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2005 को किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन

निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शाति नगर, रायपुर

दूरभाष - 0771-2446018

फैक्स नं० - 0771-4070131

क्रमांक-426 / ए.ए.आर.सी. / 166 / ए. / 2005 /

रायपुर, दिनांक 16/02/2006

प्रति,

सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

उच्च शिक्षा विभाग,

मंत्रालय, डी०केऐस० भवन,

रायपुर (छ.ग.)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2004-2005 की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा समपरीक्षा रिपोर्ट।

महोदय,

छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय नियम 2004 के नियम 32 में यह प्रावधान है, कि आयोग प्रत्येक वर्ष के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें उस वर्ष के दौरान के उसके क्रियाकलापों का लेखा-जोखा दिया जाएगा। इन्हीं नियमों के नियम 33(4) में यह भी प्रावधान है, कि आयोग के वार्षिक लेखा को चॉट्ट एकांउटेंट द्वारा प्रमाणित करा कर उनकी समपरीक्षा रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी। नियम 32 एवं 33 की व्यवस्था के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट के साथ वित्त वर्ष की वार्षिक लेखा समपरीक्षा की प्रतिलिपि संलग्न कर उच्च शिक्षा विभाग को आयोग द्वारा अग्रेषित की जाना है तथा उच्च शिक्षा विभाग को उसे राज्य विधानसभा के समक्ष रखवाना है।

उक्त वैधानिक व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2004-05 की वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखा समपरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे आयोग ने उसकी बैठक दिनांक 30/11/2005 को विचार कर इनका अनुमोदन किया।

आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट और लेखा समपरीक्षा रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही के लिये संलग्न की जा रही है।

धन्यवाद सहित।

भवदीय,

P.C. Upadhyay

(प्रो० पी०सी० उपाध्याय)

अध्यक्ष

विनियामक आयोग

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

सूची

### ● वार्षिक रिपोर्ट 2004-05

#### ● अनुसूची - 1,2,3,

- आडिट रिपोर्ट - 23

## ● आडिट रिपोर्ट

- बैलेन्स शीट - 25
- लेखा संबंधी अन्य जानकारी - 26

# छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की वार्षिक

## रिपोर्ट

वर्ष 2004-05

छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय नियम 2004 के नियम 32 के अनुसार आयोग का यह दायित्व है कि आयोग प्रतिवर्ष एक बार ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय पर, जैसा कि आयोग द्वारा तय किया जाये, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें तुरंत पूर्व वर्ष के दौरान की उसके क्रिया-कलापों का सही तथा पूर्ण लेखा-जोखा दिया जायेगा। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2004-05 की वार्षिक रिपोर्ट आगे प्रस्तुत है।

### वैधानिक व्यवस्था –

छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की स्थापना, छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम 2002 (क्र० 02 सन् 2002) में दिनांक 17 मार्च 2004 को किये गये संशोधनों के परिणामस्वरूप हुई है। संशोधित मूल अधिनियम 2002 की धारा 24 की उपधारा (1) में यह प्रावधान था कि अध्यापन, परीक्षा, शोध में यथा-उचित मानक स्तर सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के हित संरक्षण तथा कर्मचारियों को तर्कसंगत सेवा-शर्ते सुनिश्चित करने, इसके साथ निजी विश्वविद्यालय को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता बनाये रखने के लिए राज्य सरकार विनियामक आयोग की स्थापना करेगा। इसी धारा की उपधारा 11 में यह भी प्रावधान था कि विनियामक आयोग का गठन होने तक शिक्षा विभाग में निहित राज्य शासन विनियामक आयोग का कार्य करेगा।

उक्त वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत 17 मार्च 2004 से उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने आयोग का कार्य प्रारंभ किया। 01 फरवरी 2005 से अध्यक्ष के रूप में प्रो० पी०सी० उपाध्याय के पदभार ग्रहण करने पर एक स्वतंत्र आयोग का गठन प्रभाव में आया।

## क्रमीकृति परिवार नामांकनीय एकाडमीकी संस्था जिनी छापशिल्प पदाधिकारी –

जब उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन आयोग के कृत्यों का निर्वहन कर रहा था तब आयोग के पदाधिकारी नीचे दर्शायेनुसार थे :–

- (1) श्री विक्रम उसेंडी, मानो मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (दिनांक 17 मार्च 2004 से 05 जुलाई 2004 तक)
- (2) श्री अजय चंद्राकर, मानो मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (दिनांक 06 जुलाई 2004 से 31 जनवरी 2005 तक)
- (3) डॉ श्रीमती इंदिरा मिश्र, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग (दिनांक 17 मार्च 2004 से 31 जनवरी 2005 तक)
- (4) डॉ यू०एस० पाठक, शिक्षा सलाहकार, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग (दिनांक 17 मार्च 2004 से 31 जनवरी 2005 तक)

01 फरवरी 2005 को स्वतंत्र आयोग के प्रभावी होने के पश्चात् आयोग के पदाधिकारी नीचे दर्शाएनुसार है :–

- (1) प्रो० पी०सी० उपाध्याय – अध्यक्ष (दिनांक 01/02/05 से वर्तमान में भी)
- (2) प्रो० डॉ यू०एस० पाठक – पूर्णकालिक प्रशासनिक सदस्य (दिनांक 09/02/05 से वर्तमान में भी)
- (3) प्रो० एस०एन० अग्रवाल – पूर्णकालिक अकॉदमिक सदस्य (दिनांक 07/03/05 से वर्तमान में भी)
- (4) डॉ आई०आर० खुंटे – अंशकालिक सदस्य (दिनांक 10/03/05 से वर्तमान में भी)
- (5) श्री एल०पी० गोस्वामी – अंशकालिक सदस्य (दिनांक 10/03/05 से वर्तमान में भी)

## स्थापना के अवसर का परिदृश्य –

- (1) आयोग की स्थापना के दिनांक यथा; 17 मार्च, 2004 को छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 97 निजी विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ चुके थे।
- (2) छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम 2002 के प्रावधानों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नीचे दर्शाई दो विविध याचिकाओं द्वारा चुनौती दी गई थी:-
  - (क) प्रो. यशपाल एवं अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य (WP (C) क्रमांक 19 / 2004)।
  - (ख) श्री गोपाल अग्रवाल विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया (WP (C) क्रमांक 565 / 2003)।

उक्त विविध याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन थीं, जिनका प्रतिरक्षण का कार्य आयोग को करना था।

- (3) 97 निजी विश्वविद्यालयों में से केवल 37 निजी विश्वविद्यालयों (नाम, अनुसूची-1 पर हैं) ने संशोधन अधिनियम की शर्तें पूरी की थीं। 31 निजी विश्वविद्यालयों ने संशोधन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के विरुद्ध माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष विविध याचिकाएं दायर की थीं। इन विविध याचिकाओं की सूची अनुसूची-2 पर है। इनका प्रतिरक्षण किया जाना था।
- (4) जो निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2004 की शर्तों को 30 जून, 2004 तक पूरा नहीं किये, उनके प्रायोजक निकायों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने की व्यवस्था करनी थी।
- (5) जिन 37 निजी विश्वविद्यालयों (अनुसूची-1) ने संशोधन अधिनियम की शर्तें पूरी की थीं उनके कार्य-कलापों का अनुश्रवण करना था।
- (6) आयोग के दायित्वों के निर्वहन के लिये आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था व अधोसंरचना निर्माण की तत्काल व्यवस्था करनी थी।

## कार्यकलापों का लेखा-जोखा –

उक्त परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 17 मार्च, 2004 से अपना कार्य प्रारंभ किया। इन कार्यकलापों के लेखा-जोखा का सार निम्नानुसार है :–

- (1) 17 मार्च, 2004 को ही मंत्रालय के एक कक्ष में आयोग कार्यालय की स्थापना करके, इसके लिए न्यूनतम आवश्यक साज-सज्जा, फर्नीचर एवं कर्मचारियों की व्यवस्था की गयी। 01 सितम्बर, 2004 से रायपुर के शांतिनगर क्षेत्र में किराये के निजी भवन में एक स्वतंत्र कार्यालय स्थापित किया गया।
- (2) विचाराधीन अवधि में आयोग की बैठकें दिनांक 21 जून 2004, दिनांक 05 नवम्बर 2004, दिनांक 10 मार्च 2005 एवं दिनांक 23 मार्च 2005 को हुईं।
- (3) उच्च शिक्षा विभाग, आयोग के कर्तव्यों का निर्वहन किस तरह से करेगा इसकी विधि निर्धारित कर आदेश जारी किये गये।
- (4) छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, संचालन और विनियमन संबंधी सभी आवश्यक जानकारी अप्रैल 2004 में एक मार्गदर्शिका के रूप में प्रकाशित की गयी तथा निजी विश्वविद्यालयों संबंधी सभी मामलों के लिए आयोग में “एकाकी खिड़की प्रणाली” प्रारंभ की गयी। इस प्रणाली के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित किसी भी समस्या के लिए कोई भी व्यक्ति अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग / शिक्षा सलाहकार, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से किसी भी समय व्यक्तिशः दूरभाष या संचार के किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकता था तथा समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता था।
- (5) विन्यास निधि एवं भूमि के एवज में जमा की गयी अतिरिक्त निधि को जमा कराना, उनका लेखा आदि रखने तथा उनकी विनियोजन तथा भूमि के अभिलेखों की जांच व सुरक्षा की व्यवस्था की गयी।

- (6) उन 60 निजी विश्वविद्यालयों (नाम, अनुसूची -3 पर) की स्थापना संबंधी अधिसूचनाएं निरस्त की गयी, जिन्होंने संशोधन अधिनियम की शर्तों को पूरा नहीं किया था। 60 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित अधिसूचनाओं के निरस्त होने के बाद केवल 37 निजी विश्वविद्यालय शेष रहे। 60 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित अधिसूचनाओं के निरस्त होने के बाद इनमें अध्ययनरत् विद्यार्थी प्रभावित हुए। “एकाकी खिड़की प्रणाली” के माध्यम से प्रभावित विद्यार्थियों की समस्या का लगातार अनुश्रवण किया जाकर समाधान भी किया गया।
- (7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने प्रदेश में बचे 37 निजी विश्वविद्यालयों की जांच, अपने दलों को भेजकर कराई। जांच दलों की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशिष्ट टीप भेजने के लिए अनुरोध किया। इस विशिष्ट टीप भेजने के लिए आयोग ने स्थानीय शिक्षाविदों के जांच दल, महामहिम राज्यपाल व राज्य शासन की सलाह से गठित किये। इन जांच दलों ने 25 निजी विश्वविद्यालयों की जांच का कार्य पूरा कर लिया था। इसके साथ ही आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के परिनियमों एवं अध्यादेशों का परीक्षण, उच्च शिक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से संबंधित निजी विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्षों एवं कुलपतियों को क्रमशः बुलाकर करना प्रारंभ कर दिया। इस परीक्षण में यह पाया गया कि अधिकांश निजी विश्वविद्यालयों द्वारा या तो परिनियम/अध्यादेश बनाए ही नहीं गए थे, या बनाए भी गए थे, तो वे विधिसंगत नहीं थे और विधिवत रूप से लागू भी नहीं कराए गए थे। निजी विश्वविद्यालयों की इस तरह से जांच और उनके परिनियमों/अध्यादेशों के परीक्षण कार्य पूरा होने के पहले ही दिनांक 11/02/2005 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन निजी विश्वविद्यालयों का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, इसलिए जांच व परिनियमों/अध्यादेशों के परीक्षण का कार्य यहीं पर रोक दिया गया।

- (8) दिनांक 27 सितम्बर 2004 को होटल बेबीलान, रायपुर में महामहिम राज्यपाल लेऋोजो (सेवानिवृत्त) श्री कृष्ण मोहन सेठ की अध्यक्षता में तथा माननीय मुख्यमंत्री जी छोगो शासन डॉ० रमन सिंह एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी छोगो शासन श्री अजय चन्द्राकर की उपस्थिति में निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्षों एवं कुलपतियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 37 निजी विश्वविद्यालयों में से 34 निजी विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्षों, कुलपतियों एवं अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में डॉ० हरि गौतम – पूर्व अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रो० के०ही० पवार – पूर्व महासचिव एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटिज, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय भेषज परिषद तथा फॉरमेरी कौसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन में निजी विश्वविद्यालयों की समस्याओं पर विभिन्न पहलुओं से विचार कर इनके संबंध में आगे की कार्यवाही के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये।
- (9) माननीय उच्च न्यायालय छोगो एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निजी विश्वविद्यालयों के संदर्भ में दायर की गयी याचिकाओं के प्रतिरक्षण हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही की गई।
- (10) जन-साधारण व निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित सभी लोग छत्तीसगढ़ की निजी विश्वविद्यालयों की समस्याओं से तथा उनके समाधान के लिए किये जाने वाले प्रयास से अवगत हो सकें, इसके लिए वृहद प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की गयी।
- (11) दिनांक 11 फरवरी, 2005 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय छोगो द्वारा प्रेषित याचिकाओं एवं दो जनहित याचिकाओं पर एक साथ समग्र रूप से विचार कर मूल अधिनियम 2002 की धारा 5 और 6 को गैरसंवैधानिक घोषित करते हुए इन धाराओं के आधार पर निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी अधिसूचनाएं निरस्त कर दी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि इस दिनांक से छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित

सभी निजी विश्वविद्यालयों का अस्तित्व समाप्त हो गया। इन निजी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत् करीब 25, हजार विद्यार्थी प्रभावित हुए इसमें से लगभग 3 हजार विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययनरत् थे। छत्तीसगढ़ में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के उचित अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था पर विचार करने के लिए दिनांक 16 फरवरी 2005 को महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षामंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा आयोग के पदाधिकारियों एवं छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालयों के 50 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दिनांक 25 फरवरी 2005 को आयोग के सदस्य डॉ० पाठक को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों से चर्चा करने भेजा गया। इसी क्रम में दिनांक 27 फरवरी 2005 को महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, इसमें<sup>(st)</sup> माननीय उच्च शिक्षामंत्री जी उपस्थित थे। दिनांक 01 मार्च 2005 को अपर मुख्य सचिव श्रीमती इंदिरा मिश्र की अध्यक्षता में आयोग के पदाधिकारियों एवं शासन के अधिकारियों का एक दल, जिसमें प्रमुख सचिव विधि भी शामिल थे, दिल्ली गया, जहाँ समस्या पर विधि विशेषज्ञों से चर्चा की गयी। 18 मार्च, 2005 माह में ही उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं आयोग के पदाधिकारियों ने पहले निजी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों से चर्चा की, उसके बाद माननीय उच्च शिक्षामंत्री श्री अजय चन्द्राकर ने भी इन प्रतिनिधियों से अपने निवास पर चर्चा की। माननीय उच्च शिक्षामंत्री ने विद्यार्थी प्रतिनिधियों से भी विधानसभा परिसर में चर्चा की, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा आयोग के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निजी विश्वविद्यालयों के विजिटर महामहिम राज्यपाल, छत्तीसगढ़ एवं माननीय उच्च शिक्षामंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के साथ जाकर माननीय मानव संसाधन मंत्री, भारत सरकार, श्री अर्जुन सिंह जी से चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्रीजी से उक्तानुसार विचार-विमर्श के पश्चात् दिनांक 21/03/2005 को मानव संसाधन मंत्री द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए भारत सरकार की ओर से एक वक्तव्य भी संसद में दिया गया। इस प्रकरण में संसद में माननीय मानव संसाधन मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिये वक्तव्य तथा राज्य स्तर पर उक्तानुसार किये गये विचार-विमर्श के आधार पर

प्रियोग विभागी नियम अनुदान विभागी का नियम विभागी नियम अनुदान

आयोग ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए परिनियम 27(ए) का प्रारूप तैयार किया, जिसका अनुमोदन दिनांक 24 मार्च 2005 को छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समन्वय समिति द्वारा किया जाकर, उसे लागू किया गया। इन सब प्रयासों के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ में अध्ययनरत् पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की परीक्षा एवं समुचित अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था इन पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों को संस्थाओं के रूप में छत्तीसगढ़ में स्थित दो परम्परागत विश्वविद्यालयों यथा; पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के माध्यम से आयोग द्वारा कराई गई।

- (12) छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित समस्याओं के संदर्भ में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा संसद के विभिन्न अधिनियमों द्वारा रथापित केन्द्रीय अभिकरणों जैसे; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद आदि से लगातार संपर्क कर विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए पहल की गयी।
- (13) अनेक निजी विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न राज्यों में दूरस्थ परिसर (off campus) एवं अध्ययन केन्द्र प्रारंभ किए गए थे। उन राज्यों के परम्परागत विश्वविद्यालय के माध्यम से इन छत्तीसगढ़ से बाहर के छात्रों की परीक्षाएँ सम्पन्न कराने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ एवं अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ने अपने-अपने स्तर पर सभी राज्यों को पत्र लिखे। इसके लिये आयोग ने तथ्यात्मक अभिलेखों के आधार पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई। ऊपर दर्शाए गये मुख्य कार्य के साथ ही ऐसे सभी कार्य भी किये गये, जिससे निजी विश्वविद्यालयों की समाप्ति के परिणामस्वरूप विद्यार्थियों का अहित न हो तथा साथ में इस व्यवस्था को ऐसा स्वरूप दिया जा सके जिससे निजी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ की विश्वविद्यालयीन शिक्षा में अपना योगदान दे सकें।

लेखाओं पर प्रतिवेदन –

विचाराधीन अवधि के लेखाओं की समपरीक्षा चाट्ड एकांउटेंट से करा ली गयी है  
जो इस प्रतिवेदन के साथ संलग्नक - 1 पर है।

८११९१-५

(39/199)

सत्यनारायण

(प्रकाश चन्द्र उपाध्याय)  
अध्यक्ष

(उमाशंकर पाठक)  
सदस्य – प्रशासनिक

(सत्यनारायण अग्रवाल)  
सदस्य – अकाँदमिक

(आई० आर० खुटे)  
अंशकालीन सदस्य

(एल० पी० गोस्वामी)  
अंशकालीन सदस्य

छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,

शांति नगर, रायपुर – 492 007

रायपुर, दिनांक 30, नवम्बर, 2005

## अनुसूची - 1

37 पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों की सूची  
जिन्होंने संशोधन अधिनियम की शर्त पूरी की थीं

सरल क्र०	विश्वविद्यालय का नाम	कोड क्र०
1	श्री रावतपुरा सरकार इंटरनेशल वि.वि., रायपुर	1
2	दि आई.सी.एफ.ए.आई. वि.वि. रायपुर	2
3	डॉ.सी.वी. रमन वि.वि. रायपुर	4
4	कावा ग्लोबल वि.वि. रायपुर	6
5	ली मैग्नस वि.वि. रायपुर	12
6	नेटवर्कड वि.वि. ऑफ एजुकेशन एक्सचेज, मिलाई ४००५०	13
7	विश्व मारती यूनिवर्सिटी रायपुर	14
8	मैट्स वि.वि. रायपुर	16
9	राय वि.वि. रायपुर	17
10	एमीटी वि.वि. रायपुर	19
11	इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फार हयूमन ड्रांसफामरमेशन वि.वि. रायपुर	21
12	आचार्य आर्यभट्ट वि.वि. रायपुर	23
13	बी.एल.एस. वि.वि. रायपुर	24
14	गुरुकल वि.वि. रायपुर	25
15	एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल वि.वि. रायपुर	26
16	आई.आई. ए.एस. इंटरनेशनल वि.वि. रायपुर	27
17	मोदी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रायपुर	30
18	एन.आई.आई.एल.एम वि.वि. रायपुर	31
19	जी.एच. रायग्रेनी वि.वि. रायपुर	38
20	स्वामी पिंकानंद यूनिवर्सिटी आफ साईंस एंड टेक्नोलाजी रायपुर	39
21	बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी रायपुर	41
22	आई.आई.एल.एम. विविदो रायपुर	43
23	यूनिवर्सिटी आफ टेक्नोलाजी एंड साईंस वि.वि. रायपुर	48
24	धर्मदिप्ति वि.वि. जगदलपुर	55
25	लूथरन वि.वि. रायपुर	57
26	ई.एम.पी.आई. यूनिवर्सिटी रायपुर	60
27	अंसल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी वि.वि. रायपुर	63
28	ई.आई.आई.एल.एम. यूनिवर्सिटी रायपुर	64
29	लार्ड्स वि.वि. रायपुर	65
30	जयपुरिया यूनिवर्सिटी रायपुर	67
31	मेवार वि.वि. रायपुर	68
32	इडिस वैली वि.वि. रायपुर	71
33	आई.टी.एम. वि.वि. रायपुर	72
34	बाबा मस्तनाथ वि.वि. रायपुर	74
35	एप्टेक वि.वि. रायपुर	7
36	स्टारेक्स यूनिवर्सिटी	92
37	यूनिवर्सिटी आफ मीडिया आर्ट	93

## अनुसूची – 2

**पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों की सूची**  
**जिन्होंने संशोधन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के विरुद्ध**  
**माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं दायर की थीं**

स. क्र.	विविध याचिका क्रमांक	वादी का नाम
1.	1392 / 2004	एम.एन.आर. एण्ड ए.एस.आर.के. यूनिवर्सिटी
2.	1388 / 2004	डॉ. जाकिर हुसैन यूनिवर्सिटी
3.	1537 / 2004	कलिंग यूनिवर्सिटी
4.	1024 / 2004	एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी
5.	1647 / 2004	श्री मद वल्लभा भारत विद्या विश्वविद्यालय
6.	1667 / 2004	ए.आई.एम. यूनिवर्सिटी
7.	1671 / 2004	श्री रावतपुरा यूनिवर्सिटी
8.	1672 / 2004	श्री जैन सर्वोदया यूनिवर्सिटी
9.	1695 / 2004	शिव मुद्रा यूनिवर्सिटी
10.	1696 / 2004	इंडियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी
11.	1697 / 2004	थामथ यूनिवर्सिटी
12.	1716 / 2004	आई.एम.ई. यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी
13.	1717 / 2004	ए.सी.एन. यूनिवर्सिटी
14.	1731 / 2004	दि नेशनल टेक्नॉलाजिकल यूनिवर्सिटी
15.	1732 / 2004	दि स्टेट्स यूनिवर्सिटी
16.	1733 / 2004	यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च एण्ड प्रोमोशन
17.	1750 / 2004	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस यूनिवर्सिटी
18.	1773 / 2004	दून इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी
19.	1783 / 2004	सृष्टि यूनिवर्सिटी
20.	1784 / 2004	विश्वभारती यूनिवर्सिटी
21.	1785 / 2004	ग्लोबल यूनिवर्सिटी
22.	1786 / 2004	डॉ. जाकिर हुसैन यूनिवर्सिटी
23.	1789 / 2004	अंकुर यूनिवर्सिटी
24.	1788 / 2004	न्यू एज यूनिवर्सिटी
25.	1817 / 2004	एक्वॉटेक यूनिवर्सिटी
26.	1818 / 2004	इंद्रप्रस्थ टेक्न. यूनिवर्सिटी
27.	1819 / 2004	राजीव गांधी टेक्न. यूनिवर्सिटी
28.	1820 / 2004	डॉ. एस.जी. रेड्डी यूनिवर्सिटी
29.	1821 / 2004	शहीद भगत सिंह यूनिवर्सिटी
30.	1822 / 2004	मंगलानया यूनिवर्सिटी
31.		क्षी.एन.जी. यूनिवर्सिटी

## अनुसूची – 3

60 पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों की सूची  
जिनकी स्थापना संबंधी सूचनाएं निरस्त की गई

1.	इंडियन वि.वि., रायपुर
2.	नेशनल टेक्नोलाजी वि.वि., रायपुर
3.	नेता जी सुभाषचंद्र बोस कम्यूटर ग्रामीण वि.वि., रायपुर
4.	सृष्टि वि.वि., रायपुर
5.	बी.आई.टी.एस. वि.वि., रायपुर
6.	श्रीमद राधावल्लभाचार्य भारत विद्या वि.वि., रायपुर
7.	एम.एन.आर. एण्ड ए.एस.आर.के वि.वि., रायपुर
8.	दि छत्तीसगढ़ इंटरनेशनल वि.वि. ऑफ बायो टेक्नोलाजी एण्ड लाइफ साईंस वि.वि. रायपुर
9.	यूनिवर्सिटी ऑफ सेन्ट्रल इंडिया वि.वि., रायपुर
10.	राजीव गांधी वि.वि., दुर्ग
11.	इंडियन इंटरनेशनल वि.वि., रायपुर
12.	त्रिवेणी इंटरनेशनल वि.वि., रायपुर
13.	थामथ वि.वि. रायपुर
14.	प्रियदर्शनी आस्था वि.वि., रायपुर
15.	आई.एम.ई. यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलाजी वि.वि., रायपुर
16.	टी.ए.एस. एम.ए.सी. वि.वि., रायपुर
17.	अंकुर वि.वि., रायपुर
18.	डॉ. जाकिर हूसैन नेशनल वि.वि., रायपुर
19.	दि ग्लोबल वि.वि., रायपुर
20.	लवली वि.वि., रायपुर
21.	व्ही.एन.जी. वि.वि., रायपुर
22.	डॉ. एस.जी. रेड्डी वि.वि., रायपुर
23.	शहीद भगतसिंह इंटरनेशनल वि.वि., रायपुर
24.	दि स्टेट्स यूनिवर्सिटी बिलासपुर
25.	ए.आई.एम. वि.वि., रायपुर
26.	दिवाविर्ती वि.वि., रायपुर
27.	न्यू एज इंटरनेशनल वि.वि., रायपुर
28.	जवाहरलाल नेहरू वि.वि., रायपुर
29.	ए.आर.डी.इ.इ. वि.वि., रायपुर
30.	छत्तीसगढ़ वि.वि., रायपुर
31.	आई.एम.एम. ग्लोबल वि.वि., रायपुर
32.	मंगलमय वि.वि., रायपुर
33.	सुप्रीम वि.वि., रायपुर
34.	ग्राम्य भारती वि.वि., महासमुद्र
35.	मानव रचना वि.वि., रायपुर
36.	महर्षि मारकण्डेश्वर वि.वि., रायपुर
37.	इंटरनेशनल ट्रायबल टेक्नीकल वि.वि., रायपुर

## ८ - नियम

38.	शोलेस्ट्रीयल वि.वि., रायपुर
39.	शिवमुद्रा वि.वि., रायपुर
40.	किस्टल इंटरनेशनल वि.वि. रायपुर
41.	के.जी.एन. वि.वि., रायपुर
42.	श्री जैन सर्वोदय वि.वि., रायपुर
43.	इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट एण्ड टेक्नोलाजी वि.वि., रायपुर
44.	स्वराज वि.वि., रायपुर
45.	टेकहार्ट वि.वि., रायपुर
46.	बी.आई.आई.जी.एस. वैली वि.वि., रायपुर
47.	विवेकानन्द नेशनल वि.वि., रायपुर
48.	वैस्टर्न इंडिया वि.वि., रायपुर
49.	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मार्डन मैनेजमेण्ट वि.वि., रायपुर
50.	यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च एण्ड एजूकेशन प्रमोशन वि.वि., रायपुर
51.	एक्वाटेक वि.वि., रायपुर
52.	अन्ना टेक्नालाजीकल वि.वि., रायपुर
53.	कामर्शियल वि.वि., रायपुर
54.	बुद्धा विश्वभारती वि.वि., रायपुर
55.	इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर इंश्योरेस एण्ड फायनेंशियल मैनेजमेण्ट वि.वि., रायपुर
56.	ए.सी.एन.. इंटरनेशनल वि.वि., रायपुर
57.	दून इंटरनेशनल वि.वि., रायपुर
58.	एन.आई.आई.टी. वि.वि., रायपुर
59.	यूनिवर्सिटी ऑफ आई.टी.एम. वि.वि., रायपुर
60.	कलिंगा विश्वविद्यालय

Sajid Dossaik & Associates  
Chartered Accountants

17/301, First Floor, Guru Gobind Nagar,  
Opp Dr. Verma's Clinic RAIPUR [Chhattisgarh] 492001  
Phone: 0771-642657 Fax: 0771-642657  
E-mail: [sajiddossaik@rediffmail.com](mailto:sajiddossaik@rediffmail.com)

#### STATUTORY AUDITORS REPORT

To the Management  
Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya, Raipur, Andhra Pradesh.

## STATUTORY AUDIT REPORT Established on 17.03.2004 under Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya Act, Universty Act, dated 2002. It is meant to uplift private universities in the State of Chhattisgarh. Ayog aims to provide quality education to the students of Chhattisgarh. It is established by the Government of Chhattisgarh.

### OF CHHATTISGARH NIJI KSHETRA VISHWAVIDYALA VINAYAMAK AYOG

We have been appointed as Auditor of the above institution for the year 2004-05 and have done our audit as per the requirement. We have carried out the audit of the accounts of the above institution for the financial year 2004-05. It is provided under section 21 of the Act that the name and style of Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya Raipur, Andhra Pradesh Ayog is established under Education Department of Government of Chhattisgarh will work on the basis. Hence the above accounts are exclusive of all the transactions done by the Education Department of Government of Chhattisgarh as Ayog is the independent body established in reference 20.

### FOR THE PERIOD ENDED ON

### 31<sup>ST</sup> MARCH 2005

We have audited the detailed Balance Sheet of CHHATTISGARH NIJI KSHETRA VISHWAVIDYALA VINAYAMAK AYOG as on 31st March 2005 and the detailed Income & Expenditure Account of the Ayog for the period ended on that date. These financial statements are the responsibility of the Ayog's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on audit.

In our view, these financial statements are in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the Audit in such a manner

as to give a true and fair view of the state of affairs of the institution as on the date of the financial statements and of the result of its operations during the year then ended.

**Batra Deepak & Associates**

Chartered Accountants

17/901, First Floor, Guru Gobind Nagar,  
Opp. Dr. Verma's Clinic, **RAIPUR [Chhattisgarh] 492001**

Phone: 0771-2424657, 2423757, 5055537 Fax: 0771-2426091  
E-mail: deepakca@mantrafreenet.com; deepak.batra@rediffmail.com

**STATUTORY AUDITORS' REPORT**

To,

Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya Vinayamak Ayog (Ayog),

Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya Vinayamak Ayog (Ayog) has been established on 17.03.2004 under Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002. It is meant to regulate the private universities in the State of Chhattisgarh. As per rule 33 of the rules made under the aforesaid Act, the accounts of Ayog are to be maintained in such books and in such format as may be prescribed by the Ayog. The audit of these accounts is to be done by a Chartered Accountant.

We have been appointed as Auditor of the Ayog for accounting year 2004-05 vide letter dated 03.06.2005 bearing no.426. As per the appointment letter we have carried out the audit of books of account. The Ayog has prepared following statements containing various information pertaining to transactions carried out by it during accounting year 2004-05. It is provided under section 19 of the Act that Ayog will be established under the name and style of Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya Vinayamak (Ayog) and till such Ayog is established the Education Department of Government of Chhattisgarh will work as the Ayog. Hence the above accounts are inclusive of all the transactions done by the Education Department of Government of Chhattisgarh as Ayog as the independent Ayog was established in February 2005.

We have audited the attached Balance Sheet of CHHATTISGARH NIJI KSHETRA VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG as at 31st March 2005 and the attached Income & Expenditure Account of the Ayog for the period ended on that date. These financial statements are the responsibility of the Entity's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements, based on our audit.

(a) We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain

reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

- (b) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (c) In our opinion, proper books of account are prepared, so far as it appears from our examination of such books.
- (d) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account referred to in this report are in agreement with the books of accounts.
- (e) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, but subject to notes on accounts the said balance sheet and the income and expenditure account read together with the notes thereon, give the information required by the Act, in the manner so required and give a true and fair view:
- (i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Ayog as at 31st March, 2005, and
  - (ii) in the case of Income and Expenditure Account, of the excess of income over expenditure for the period ended on that date.

PLACE: RAIPUR

DATE 28 OCT 2005

For, **BATRA DEEPAK & ASSOCIATES**

CHARTERED ACCOUNTANTS



[DEEPAK BATRA]

PARTNER

M.NO. 74052

**CHHATTISGARH NIJI KSHETRA VISHWAVIDYALA VINAYAMAK AYOG**

**BALANCE SHEET AS AT 31 ST MARCH 2005**

PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT (Rs.) 31.03.05
<b>SOURCES OF FUNDS:</b>		
<b>CAPITAL FUND:</b>		
GOVERNMENT GRANT	"A"	1000000.00
SURPLUS		4987711.85
T-O-T-A-L :-		5987711.85
<b>APPLICATION OF FUNDS:</b>		
<b>FIXED ASSETS:</b>	"B"	
OPENING W.D.V.		0.00
ADD: ADDITIONS		353437.00
LESS: DELETION		0.00
LESS: DEPRECIATION		81270.00
CLOSING W.D.V.		272167.00
<b>CURRENT ASSETS, LOANS &amp; ADVANCES:</b>		
CASH & BANK BALANCES	"C"	23900325.85
INVESTMENTS	"D"	570000000.00
DEPOSITS & ADVANCES	"E"	1900500.00
		595800825.85
<b>LESS: CURRENT LIABILITIES &amp; PROVISIONS:</b>	"F"	
NET CURRENT ASSETS		590085281.00
T-O-T-A-L :-		5715544.85
		5987711.85
		0.00
<b>NOTES TO ACCOUNTS FORM INTEGRAL PART OF BALANCE SHEET AND INCOME &amp; EXPENDITURE ACCOUNT</b>	"G"	

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES  
CHARTERED ACCOUNTANTS

[DEEPAK BATRA]

PARTNER

M. NO. 74052

**CHHATTISGARH NIJI KSHETRA VISHWAVIDYALA VINAYAMAK AYOG**  
**INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT**  
**FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2005**

PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT (Rs.)
I-N-C-O-M-E :		
MISCELLANEOUS INCOME		28850.00
CONFERENCE FEES RECEIVED		76000.00
INTEREST ON TDR		6323535.00
INTEREST FROM SAVING ACCOUNT		217197.79
	T-O-T-A-L (A)	6645582.79
E-X-P-E-N-D-I-T-U-R-E :		
PETTY CASH EXPENSES (TILL MONEY)		55538.00
STAFF SALARY		438079.64
T.A. & D.A. ALLOWANCE		210453.50
PROFESSIONAL EXPENSES		592230.00
TELEPHONE EXPENSES		21367.00
OFFICE RENT EXPENSES		105000.00
ELECTRICITY CHARGES		2086.00
CONFERENCE/SEMINAR EXPENSES		127645.80
PUBLIC RELATION EXPENSES		1500.00
TRAVELLING AND CONVEYANCE EXPENSES		22701.00
DEPRECIATION		81270.00
	T-O-T-A-L (B)	1657870.94
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE (A - B)		4987711.85
NET SURPLUS CARRIED TO BALANCE SHEET		4987711.85
NOTES TO ACCOUNTS FORM INTEGRAL PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	"G"	

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES  
CHARTERED ACCOUNTANTS

PLACE : RAIPUR  
DATE : 28 OCT 2005

[DEEPAK BATRA]  
PARTNER  
M. NO. 74052

CHHATTISGARH NIJI KSHETRA VISHWAVIDYALA VINAYAMAK AYOG  
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2005

PARTICULAR	AS ON 31.03.2005
------------	---------------------

SCHEDULE - "A"

RESERVES & SURLUS:

Opening Balance	0.00
Add : Excess of Income Over Expenditure	4987711.85
	<u>T-O-T-A-L :- 4987711.85</u>

SCHEDULE - C

CASH AND BANK BALANCE:

Petty cash [Till Money]	807.00
Balance with SBI [ A/C No. 01100046973]	23899518.85
	<u>T-O-T-A-L :- 23900325.85</u>

SCHEDULE - "D"

INVESTMENTS

a) Deposit in State Bank Of India	320000000.00
b) Deposit with other banks	250000000.00
	<u>T-O-T-A-L :- 570000000.00</u>

SCHEDULE - "E"

DEPOSIT & ADVANCE

a) T. D. S ( A.Y 2005-06)	1850500.00
b) Deposit for rent	45000.00
c) Deposit for telephone	5000.00
	<u>T-O-T-A-L :- 1900500.00</u>

SCHEDULE - "F"

CURRENT LIABILITIES & PROVISION

a) Endowment Fund	570000000.00
b) Additional Fund	20000000.00
c) T.D.S. Payable	16065.00
d) Fees ( To be deposited in Treasury office Raipur)	69216.00

T-O-T-A-L :- 590085281.00

**SCHEDULE "B" TO THE AUDITED ACCOUNTS OF CHHATTISGARH  
NIJI KSHETRA VISHWAVIDYALA VINAYAMAK AYOG**  
**DETAILS OF FIXED ASSETS**

PARTICULARS	RATE OF DEP.	W.D.V. AS ON 1.04.2004	ADDITIONS		TOTAL	DEPRE- CIATION UPTO 30.09.04	DEPRE- CIATION AFTER 30.09.04	TOTAL DEPRE- CIATION	W.D.V. AS ON 31.03.2005
			UPTO 30.09.04	AFTER 30.09.04					
FURNITURE & FIXTURES	15%	0.00	0.00	156420.00	156420.00	0.00	11730.00	11730.00	144690.00
OFFICE EQUIPMENTS	25%	0.00	25238.00	43323.00	68561.00	6310.00	5420.00	11730.00	56831.00
SUB-TOTAL (A)		0.00	25238.00	199743.00	224981.00	6310.00	17150.00	23460.00	201521.00
COMPUTERS	60%	0.00	64228.00	64228.00	128456.00	38540.00	19270.00	57810.00	70646.00
SUB-TOTAL (B)		0.00	64228.00	64228.00	128456.00	38540.00	19270.00	57810.00	70646.00
TOTAL (A to B)		0.00	89466.00	263971.00	353437.00	44850.00	36420.00	81270.00	272167.00

**FDR(S) / TDR(S) with State Bank Of India**

S.No.	Receipt No. TDA/53 / TDR No.	Date	Amount	Rate	For the Y Maturity Date
1	528201	28.07.04	20000000	5.25%	7 Years 01.07.11
2	528202	28.07.04	20000000	5.25%	7 Years 01.07.11
3	528203	28.07.04	10000000	5.25%	7 Years 01.07.11
4	528204	28.07.04	20000000	5.25%	7 Years 01.07.11
5	528205	28.07.04	20000000	5.25%	7 Years 01.07.11
6	528206	28.07.04	10000000	5.25%	7 Years 01.07.11
7	528207	28.07.04	10000000	5.25%	7 Years 01.07.11
8	528208	28.07.04	20000000	5.25%	7 Years 01.07.11
9	528209	28.07.04	20000000	5.25%	7 Years 01.07.11
10	528210	28.07.04	20000000	5.25%	7 Years 01.07.11
11	528211	28.07.04	10000000	5.25%	7 Years 01.07.11
12	528212	28.07.04	20000000	5.25%	7 Years 01.07.11
13	528213	28.07.04	20000000	5.25%	7 Years 01.07.11
14	528214	28.07.04	10000000	5.25%	7 Years 01.07.11
15	528215	28.07.04	20000000	5.25%	7 Years 01.07.11
16	528216	28.07.04	10000000	5.25%	7 Years 01.07.11
17	528217	28.07.04	10000000	5.25%	7 Years 01.07.11
18	528218	28.07.04	20000000	5.25%	7 Years 01.07.11
19	528220	28.07.04	10000000	5.25%	7 Years 01.07.11
20	528238	28.07.04	10000000	5.25%	7 Years 01.07.11
21	528240	28.07.04	10000000	5.25%	7 Years 01.07.11
<b>TOTAL</b>			<b>320000000</b>		

### **Details of FDR(S) / TDR(S) With Other Banks**

CHHATTISGARH NIJI KSHETRA VISWAVIDYALA VINAYAMAK AYOG  
SCHEDULES ATTACHED TO & FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AND INCOME &  
EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED ON 31<sup>ST</sup> MARCH, 2005

SCHEDULE - "G" SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENT:

These accounts have been prepared under the historical cost convention on the basis of a going concern, with revenues earned and expenses incurred. The financial statements are prepared in accordance with the generally accepted accounting principles and provisions of the statute have been followed. Aayog has opted for **cash system** of accounting.

2. FIXED ASSETS:

Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost of acquisition of fixed assets is inclusive of all expenses.

4. DEPRECIATION:

Aayog has provided for depreciation during the year in the books of accounts. The rate of depreciation provided corresponds to rates prescribed in Income Tax Act.

5. TAXATION:

No provision for current taxation and/or deferred tax has been made as the income of institution is exempt from Income Tax.

B. NOTES TO ACCOUNTS :

- (i) Section 4 and 5 of THE CHHATTISGARH NIJI KSHETRA VISHWAVIDYALA (STHAPANA AUR VINYAMAM) ADHINIYAM, 2002 has been declared void by SUPREME COURT with effect from 11.02.05, however it is felt that it is not in any way affecting the going concern assumption.
- (ii) Previous year comparative figures have not been given, as this is the first year of establishment of the Aayog.
- (iii) Contingent Liabilities:- The liability of Rs.1,50,20,832.00 towards interest due on endowment fund and interest of Rs.7,87,500.00 towards additional fund payable to such depositors has not been accounted for in books of accounts as the same would be accounted on payment basis.
- (iv) The Aayog has not passed any entry in its books of accounts towards TDS of Rs.5,39,777/- and for interest of Rs.71,87,259.00 as the interest and TDS have not been actually paid to the Aayog. Similarly interest income of Rs.8,77,343/- towards interest accrued on deposit with State Bank of India has also not been recognized.

SIGNATURES TO SCHEDULES "A" TO "G"

PLACE : RAIPUR

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES  
CHARTERED ACCOUNTANTS

DATE : 28 OCT 2005

  
[DEEPAK BATRA]  
PARTNER  
M.NO: 74052